




भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 120]
No. 120]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 1998/फाल्गुन 5, 1919
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 1998/PHALGUNA 5, 1919

खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1998

का. आ. 150 (अ).—केन्द्र सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन मेरठ एग्रो कमोडिटीज एक्सचेंज कं. लि., मेरठ द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्वारा उक्त अधिनियम, की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को गुड़ में अग्रिम संविदाओं के बारे में 1 अप्रैल, 1998 से 31 मार्च, 2000 तक की अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों का पालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं।

[मिसिल संख्या 12/(7)/आई.टी./98]

कमल किशोर, आर्थिक सलाकार

MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 1998

S.O. 150(E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition, made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Meerut Agro Commodities Exchange Company Limited, Meerut and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period from 1st April, 1998 to 31st March, 2000 in respect of forward contracts in gur.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions, as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[File No. 12/(7)/IT/98]

KAMAL KISHORE, Economic Adviser

521 GU/98

